संख्या 949 / II–2008–12 / 1(11) / 06

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

पुनर्वास निदेशक,
टिहरी बांध परियोजना,
नई टिहरी ।

सिंचाई विभाग — देहरादून : दिनांक 24 मार्च 2008

विषयः जनपद टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर ग्राम डोबरा के निकट भारी वाहन झूलापुल के निर्माण हेतु चतुर्थ किस्त का धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्त, पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना का पत्र संख्या 231/अधी0अभि0(पु0)/डोबरा/08 दिनांक 2202.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिहरी बांध परियोजना की झील से कटऑफ एरिया के वर्तमान आवागमन के मार्ग झील में समाहित हो जाने के फलस्वरूप झीलपार क्षेत्र की आवागमन की सुविधा के पुनर्स्थापना हेतु ग्राम डोबरा के निकट भागीरथी नदी पर भारी वाहन झूलापुल के निर्माण हेतु रू0 8920.00 (रूपये नवासी करोड़ बीस लाख मात्र) लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2042/ II–2006 12/1 (11)/05 दिनांक 17.04.06 के द्वारा प्रदान की गयी थी, योजना का कार्य प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्या 302/ II–2006– 12/1(11)/ 2005 दि0 17.1.06 के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रूपये 100.00 लाख, शासनादेश संख्या 191/ II–2006–12/1(11)/06 दि0 16.1.07 के द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में 1000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 941/ II–2006–12/1(11)/06 दि0 26.03.07 के द्वारा तृतीय किस्त के रूप में रू0 900.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, के क्रम में चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 100.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

............2

5— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— धनराशि आहरण डी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.08 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा, स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपभोग के बाद ही परिव्यय की उपलब्धता पर अग्रिम किस्त स्वीकृत की जायेगी ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007—08 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—20 के आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 15—टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास, आयोजनागत 800—अन्य व्यय, 02—अन्य रखरखाव कार्य, 01—परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, 24—वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय 305/XXVII(2)/2007दि0 20.03.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 949/ II—2008—12/1(11)/06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग—2
5. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. कोषाधिकारी टिहरी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव